न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 117/2018

1 कुरड़ाराम पुत्र झाबरराम उम्र 80 वर्ष जाति जाट निवासी श्योसिंहपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

बनाम

1 लोकराम पुत्र चन्द्रा उम्र 65 वर्ष जाति जाट निवासी श्योसिंहपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुरजगढ़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश दिनांक 15.11.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ बमुकदमा उनवानी लोकराम बनाम कुरड़ाराम वगैरह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा नम्बर 18/2018

उपस्थिति :

1. श्री महिपाल सिंह कपुरिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मनोहर लाल सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

दिनांकः– 11.12.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 18/2018 में पारित निर्णय दिनांक 15.11.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट लोकराम ने अपीलांट के विरूद्व विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए प्रस्तुत कर कथन किया है कि आवेदक की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 140,196/140 रकबा 5.43 हैक्टेयर वाके मौजा श्योसिंहपुरा में स्थित है जिसमें पहुंचने के प्रयोजन के लिए गांव श्योसिंहपुरा से सूजडोला को जाने वाले कटानी रास्ते से अनावेदक की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 143 रकबा 3.71 हैक्टेयर की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे नया रास्ता कायम किये जाने हेतु निवेदन किया विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी का जवाब प्राप्त किया एंव तहसीलदार सुरजगढ से मौका रिपोर्ट प्राप्त की बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि यह अपील विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.11.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। प्रकरण में दिनांक 28.05.2012 को भी प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। दिनांक 29.08.2012 को निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना पत्र पेश करने का ओदश किया गया। दूसरे प्रार्थना पत्र दिनांक 12.09.2012 में अपीलांट के खसरा नम्बर 143 में से रास्ता चाहा गया। जबकि पूर्व आवेदन में भिन्न जगह से रास्ता मांगा पूर्व में पेश प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नही किया गया। विचाराधीन आदेश में 440 वर्गमीटर रास्ता कायमी के आदेश दिये गये। जबकि पटवारी रिपोर्ट में 414 वर्गमीटर है। विचाराधीन आदेश में डी.एल.सी. दर की दोगुनी राशि का आदेश भी नही दिया गया है। अतः विचाराधीन आदेश विधि सम्मत नही है अपील स्वीकार कर विचाराधीन आदेश अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि लघुतम रास्ता विचाराधीन आदेश में दिया गया है अपीलांट द्वारा प्रस्तावित रास्ते में 700 वर्गमीटर भूमि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

से अधिक रास्ता आता है जबकि लघुतम दिया गया रास्ता 414 वर्गमीटर विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति खारिज की गई। जिसके विरूद्व अपीलांट ने माननीय राजस्व मण्डल में रिविजन प्रस्तुत की। जो खारिज हो चुकी है अपीलांट द्वारा आक्षेपित तथ्यों को राजस्व मण्डल ने निर्धारित कर दिया है। अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अत अपील सारहीन होने से खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के अनुसार निकटतम रास्ता होना एवं अन्य रास्ता मौजुद नही होना मानते हुये आवेदन स्वीकार किया है। अपने आदेश में विचारण न्यायालय ने तहसीलदार सुरजगढ़ को आदेश दिये है कि वह रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर की दोगुनी राशि आवेदक से वसूल कर अनावेदक को अदा की । विचारण न्यायालय में दिनांक 04.05.2016 को अपीलांट की आपत्ति खारिज की गई। इसकी रिविजन अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 28.06.2017 से खारिज की गई है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है अपीलांट की आपत्ति खारिज हुई है। इसके विरूद्व अपीलांट द्वारा निगरानी माननीय राजस्व मण्डल से खारिज हुई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत पाया जाता है जिसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है। फलस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर